Form No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रैक) श्रीमाधोपुर (सीकर)

सागरमल बनाम् धीसी देवी वगै0

किस्म मुकदमा – दावा अधा. 88 188, आर.टी.एक्ट. मुकदमा नम्बर – 111 / 2022

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुये
07.07.2023	वादी की ओर से श्री आदित्य प्रताप सिंह नरूका एडवोकेट ने उपस्थित होकर दावा अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 का पेश किया। दावा दर्ज रजिस्टर किया जावे। वकील वादी के निवेदन पर प्रतिवादीगण की तलबी जरिये सम्मन मय नकले साधारण तरीके से एवं रजिस्टर्ड डाक मय लिफाफे / स्पीड पोस्ट के जारी की जावे। पत्रावली वास्ते देखने तामिल दिनांक 31.07.2023 को पेश हो। दिलीप सिंह सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) श्रीमाधोपुर (सीकर)	2071–2103 12/07/23
31-7-23	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय फरिकेन उपस्थित / पीठा. अधिकारी दौरे / अन्य कार्य में व्यस्त / मीटिंग में है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 31-8-23 को पेश हो।	
03.08.23	वकील वादी ने प्रार्थना पत्र मिशल तलबी का पेश किया। वकील वादी के प्रार्थना पत्र पर सुना गया। वकील वादी प्रार्थना पत्र मिशल तलबी को स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। प्रार्थना पत्र मिशल तलबी को न्यायहित में स्वीकार होने पर पत्रावली पूर्व नियत पेशी तारीख 31.08.2023 से तलब होकर आज पेश हुई। वकील वादी ने प्रार्थना पत्र बाबत् दावा विड्रा करने [illegible] जिस पर वकील वादी को सुना गया। पक्षकारान [illegible] राजीनामा हो जाने पर वादपत्र को इसी [illegible] किया वकील वादी किया। वादपत्र [illegible] विड्रा खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। 07/08/23 दिलीप सिंह (दिलीप सिंह) सहायक कलक्टर(फास्टट्रेक) श्रीमाधोपुर	

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.08.16 11:20:51 IST
Reason: SelfAttested